7

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जयपुर में दिनांक 14 अक्टूबर 2013 को आयोजित 32 वीं शासी निकाय बैठक का कार्यवृत

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड की जयपुर में दिनांक 14 अक्टूबर, 2013 को आयोजित शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता श्री केसर लाल चौधरी, अध्यक्ष, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड ने की। उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

श्री के. के. गोयल, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक एवं सदस्य सचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा उन्हें बोर्ड के अध्यक्ष श्री केसरलाल चौधरी तथा उपाध्यक्ष सुश्री मोनिका एस. गर्ग से परिचित करवाया।

श्री केसरलाल चौधरी अध्यक्ष, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड ने बोर्ड के सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा उन्हें संबोधित किया। अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में बोर्ड की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया ताकि इन योजनाओं का लाभ भेड़ पालक तक पहुँचे। उन्होंने मुख्य कार्यसूची के बारे में बताया तथा कार्यसूची बिन्दुओं पर टिप्पणियाँ व सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि बिन्दु संख्या 7 व 8 को सम्मिलित नहीं किया जाए क्योंकि राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।

अध्यक्ष महोदय के संबोधन के पश्चात, सदस्य सचिव व कार्यकारी निदेशक केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड ने कार्यसूची के बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की।

(1) 31 वीं शासी निकाय की बैठक के कार्यसूची बिन्दुओं पर की गई कार्रवाई का अनुमोदन

कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड ने बताया कि किसी भी सदस्य से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ हैं, अतः शासी निकाय की बैठक के कार्यवृत की पुष्टि कर दी गई। केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ने सूचित किया कि बोर्ड अपनी शासी निकाय व कार्यकारी समिति की सभी बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत अपनी वेबसाइट www.woolboard.nic.in पर शीघ्र ही अपलोड करता है एवं सदस्यगण इसे डाउनलोड कर अपने सुझाव भेज सकते है जिससे आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(2) बोर्ड की 31वीं शासी निकाय की बैठक के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड ने पिछली शासी निकाय की बैठक पर की गई कार्यवाही से संबंधित विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया तथा निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

(अ) 12 वीं योजना अवधि के दौरान बोर्ड की योजनाओं को पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्रियान्वित करने की संभावनाओं में वृद्धि करना-

कार्यकारी निदेशक ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में भेड़/पश्मीना बकरी पालन सम्बन्धित क्रियाकलाप नही किया जाता है तथा कई बार विज्ञापन दिये जाने के बावजूद उस क्षेत्र से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है। बोर्ड ने इस संबंध में पिछले वर्ष भी शिलांग मे एक बैठक आयोजित की थी जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के (पशुपालन विभाग, हथकरघा, तथा हस्तशिल्प) प्रतिनिधियों ने भाग लिया लेकिन कोई उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ। इस मामले को पूर्वोत्तर राज्यों के विभाग (DONER) के समक्ष भी रखा गया लेकिन आज तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस वर्ष इंडियन चेम्बर ओफ कॉमर्स/कोलकाता को 2 मेले 16 लाख रूपये प्रति मेले की लागत से स्वीकृत किये है यह मेले शिलाँग तथा गुवाहाटी मे दिसम्बर तथा जनवरी माह में आयोजित किये जायेगे।

उपाध्यक्ष सुश्री मोनिका गर्ग ने अन्य सदस्यों से इस संबंध में सुझाव मांगे कि क्या वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई मेला आयेजित करना चाहते हैं। अधिकतर सदस्यों ने इस संबंध में कहा कि वे अपने विभाग से विचार विमर्श करेगे तथा तद्नुसार अपने प्रस्ताव भेजेगे।

निदेशक, CSWRI ने कहा कि कुछ पूर्वोत्तर राज्यों जैसे सिक्किम, मणिपुर व अरूणाचल प्रदेश में अंगोरा खरगोश है तथा इन राज्यों में अंगोरा ऊन विकास योजना क्रियान्वित की जा सकती है। बोर्ड ने कार्यकारी निदेशक को यह निर्देश दिया गया कि वह पूर्वोत्तर राज्यों में बोर्ड की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संभावनाओं पर नजर रखें ताकि पूर्वोत्तर राज्यों हेतु आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग किया जा सके।

(ब) टोंक में नमदा डिजाइन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना

कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड ने कहा कि प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु परियोजना CSWRI को पूर्व में ही स्वीकृत की जा चुकी है। निदेशक CSWRI ने कहा कि दिसम्बर 2013 से प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा तथा ऐसी आशा है कि मार्च 2014 तक 2 बैच को प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाएगा।

(स) ऊन जाँच केन्द्र, बीकानेर

कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड ने कहा कि कार्यकारिणी समिति द्वारा ऊन जाँच केन्द्र के उन्नयन को पूर्व में ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा बीकानेर,कुल्लु व WRA की प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए WRA को 3 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी गई है।

निदेशक, WRA, श्री वर्धन ने प्रयोगशाला उन्नयन के संबंध में किए जाने वाले कार्य का विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा कहा कि WRA को जारी 3 करोड़ रूपये का उपयोग किया जा रहा है। मशीनों हेतु आदेश जारी कर 2013 तक अधिकतम मशीनें लगा दी जावेगी। उन्होने यह भी कहा कि बीकानेर तथा कुल्लु प्रयोगशालाओं में कुछ मशीनों (De-humidifire) के साथ-साथ कुछ फर्निशिंग कार्य भी करवाया जाना है तथा उसके लिए कुल 20-30 लाख रूपये की आवश्यकता होगी।

3. वार्षिक योजना का 2013-14 के बजट अनुमान व संशोधित अनुमान तथा बोर्ड द्वारा सितम्बर 2013 तक किये गए विकास पर चर्चा व अनुमोदन।

कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड ने कहा कि 20 करोड़ रूपये के वित्तीय परिव्यय में से बोर्ड ने 27 सितम्बर 2013 तक अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 10.47 करोड़ रूपये का उपयोग योजना शीर्ष के तहत किया हैं। उन्होंने बताया कि वार्षिक योजना 2013-14 के क्रियान्वयन के दौरान यह देखा गया कि कुछ योजनाओं के तहत जारी निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका है तथा मानव संसाधन विकास व संवर्द्धनात्मक गतिविधियों के अन्तर्गत कुछ योजनाओं के लिए मुख्य रूप से तीन प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है। उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 की राशि 20 करोड़ मे से निधियों की एक योजना से दूसरी योजना में पुनः आबंटन कर बजट को पुनः संशोधित किया जाए। उन्होंने बोर्ड द्वारा 27 सितम्बर 2013 तक बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त की गई उपलब्धियों तथा बजट अनुमान व संशोधित अनुमान का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया।

शासी निकाय ने वित्तवर्ष 2013-14 के लिए 20 करोड़ रूपये के संशोधित अनुमान को स्वीकृति प्रदान की तथा सितम्बर 2013 तक बोर्ड द्वारा की गई वित्तीय प्रगति पर चर्चा की।

(रूपये करोड़ में)

S N	Name of Scheme	Unit	Budget Estimates (B. E.)		Revised Estimates (R. E.)			
			Physical	Financial	Physical	Other than NE region	NE region	Total
I	**Integrated Wool Improvement & Development Programme (IWIDP)**							
A	Sheep & Wool Improvement Scheme (SWIS)	No. of sheep & Feed Supplement (FS)	18.15 lakh sheep, FS to 75,000 sheep	6.90	18.15 lakh sheep, FS to 75,000 sheep	6.00	nil	6.00
B	Pashmina Wool Development Scheme	No. of Pashmina & Feed Supplement	2 lakh pashmina FS to 40,000 goats	9.00	2 lakh pashmina goats , FS to 40,000 goats	8.00	nil	8.00
C	Angora Wool Development Scheme	No. of angora rabbits	1000 angora rabbits	0.50	1000 angora rabbits	0.40	0.10	0.50
D	HRD & Promotional Activities	Promotional Activities, training, Woollen Expo	200 Trainees, 7 Expos	2.10	200 Trainees, 11 Expos & 3 Labs upgradation	3.25	0.75	4.00
II	**Quality Processing of Wool**							
A	CFC for Integrated Wool Processing	Common Facility Centre (CFC)	1 CFC	0.50	1 CFC	1.00	nil	1.00
III	**Social Security Scheme**							
A	Sheep Breeders Insurance Scheme	No. of sheep breeders	25,000 shepherds	0.50	20,000 shepherds	0.00	nil	0
B	Sheep Insurance Scheme	No. of sheep	1,00,000 sheep	0.50	1,00,000 sheep	0.50	nil	0.50
	Grand Total			20		19.15	0.85	20.00

4. **कार्यकारिणी समिति की 41वीं तथा 42वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर चर्चा एवं अनुमोदन**

शासी निकाय ने केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की 41वीं बैठक (15 मार्च 2013, नई दिल्ली) तथा 42वीं बैठक (11 जुलाई 2013) के निर्णयों को स्वीकृति प्रदान की।

5. वार्षिक योजना 2012-13 के क्रियान्वयन द्वारा प्राप्त किये गये भौत्तिक व वित्तीय लक्ष्यों का मूल्यांकन तथा बोर्ड की वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट व लेखा परीक्षित लेखों का अनुमोदन।

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं को 12वीं योजनावधि के प्रथम वर्ष में 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित किया।

कार्यकारी निदेशक ने यह भी बताया कि वस्त्र मंत्रालय ने कुल 13.51 करोड़ रूपये केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा 1.50 करोड़ रूपये गैर योजना क्षेत्र के लिए जारी किया। बोर्ड ने वर्ष 2012-13 के दौरान योजना तथा गैर योजना के तहत आवंटित राशियों का पूर्ण उपयोग कर लिया।

कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड ने वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित लेखों को चर्चा व अनुमोदन हेतु शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया। उपाध्यक्ष सुश्री गर्ग ने कहा कि वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने के दौरान लेखा परीक्षकों को भी बैठक में बुलाया जाना चाहिए ताकि वार्षिक लेखा तैयार करने के दौरान वित्तीय व लेखा धारणाओं को समझा सके तथा लेखा शाखा को लिखे गये लेखा टिप्पण के बारे में बताया जा सके। विस्तृत चर्चा के बाद शासी निकाय ने बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षित लेखों का अनुमोदन किया।

6. केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड में कुछ पदों के समर्पण तथा कुछ नये पदों के सृजन द्वारा बोर्ड का पुनर्गठन-

कार्यकारी निदेशक ने केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के वर्तमान पदों को 25 वर्ष पहले इस सोच के साथ सृजित किया गया था कि बोर्ड ऊन विपणन के क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभायेगा। लेकिन सोसायटी के रूप में बोर्ड का पंजीयन होने के पश्चात् बोर्ड ने ऊन विपणन के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया क्योंकि विपणन सम्बन्धी कार्य लाभ/हानि से जुडा कार्य है तथा दसवीं योजना से बोर्ड पशुपालन के क्षेत्र में ऊन से सम्बन्धित पशुओं यथा भेड़, अंगोरा खरगोश, पश्मीना बकरी आदि से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। जैसा कि केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड की योजनागत परिव्यय का 60-70% ऊन उत्पादक पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा घटक से संबंधित है, किन्तु वर्ष 1994 से इस बोर्ड में एक भी पशुचिकित्सा अधिकारी नहीं है तथा बोर्ड अपनी योजनाऐं पशुचिकित्साअधिकारी के अभाव में चला रहा

है जिसका परिणाम कार्यक्षेत्र में योजनाओं के कार्यान्वयन में कमी के रूप में सामने आता है तथा उचित रूप में मॉनीटरण नहीं हो पा रहा है। अत: बोर्ड में पशुचिकित्सक की महत्ती आवश्यकता है।

बोर्ड के सदस्यों का यह मत था कि सर्वप्रथम विपणन सम्बन्धी अनुपयोगी पदों को अतिरिक्त/समाप्त (Surplus/Dead) घोषित किया जाएं तथा जब यह पद रिक्त हो जायें तो इन्हें समर्पित (surrender) कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय का यह सुझाव था कि बिन्दु संख्या 6 का पहले वस्त्र मंत्रालय स्तर पर परीक्षण कराया जावे।

बोर्ड ने यह भी विचार प्रकट किया कि पशुचिकित्सकों को आवश्यक रूप से केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड में पदस्थापित किया जाएं ताकि बोर्ड की योजनाओं को उचित क्रियान्वयन हो सके। लेकिन जबतक नये पदों का सृजन नहीं हो जाएं तब तक पशुचिकित्सकों को अनुबन्ध के आधार पर रखा जा सकता है। यदि बोर्ड द्वारा उचित पारिश्रमिक/मानदेय प्रदान किया जाएं तो राज्य सरकारों/शोध संस्थाओं से सेवानिवृत पशुचिकित्सक अनुबन्ध आधार पर कार्य कर सकते है। कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड अनुबन्ध आधार पर पशुचिकित्सकों को रखने सम्बन्धी संभावनाओं पर कार्य कर वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के नियमानुसार अनुमति प्राप्त करेंगे।

7. जयपुर में एक कारपेट बुनाई व प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु चर्चा व अनुमोदन-

कार्य सूची मद में सम्मिलित नहीं किया गया।

8. अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने संबंधी प्रस्ताव:-

कार्य सूची मद में सम्मिलित नहीं किया गया।

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद दिया।

(केसरलाल चौधरी) 20/12/2013
अध्यक्ष